(ग) मृत्यु/घातक चोट के मामले में घटना के शिकार व्यक्ति/निकटतम संबंधी को कितना-कितना मुआवजा दिया जा रहा है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोयला खनन, विशेषकर भूगत खनन इसकी विभिन्न प्रवृत्ति के कारण, जोखिमयुक्त व्यवसाय है।

जोखिम को कम करने के लिए खनन क्रियाकलाप सुरक्षा कानून जैसे खान अधिनियम, 1952, कोयला खान विनियमन, 1957 तथा उसके अंतर्गत बने नियम, आदेश तथा उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार चलाए जाते हैं।

(ग) मृतक दुर्घटना के मामले में मुआवजे की राशि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हिसाब लगाया जाता है तथा यह कामगार की आयु, मासिक आय पर आधारित होती है। उपयुक्त के अलावा, मृतक के आश्रितों को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया जाता है :—

(1) दाह संस्कार व्यय	500/-रु०
(2) अनुग्रह राशि	10,000/-रु०
(3) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत राशि	15,000/-रु०

इसके अतिरिक्त, मृतक के एक आश्रित व्यक्ति को रोजगार की पेशकश भी की जाती है। रोजगार के एवेज में विकल्प के रूप में विधवा/महिला आश्रित को 60 वर्ष तक की आयु/मृत्यु/पुनः विवाह, इसमें जो भी पहले हो, तक 3000/- रु० की राशि को मासिक पैनशन का भुगतान किया जाता है।

कोयले का अवैध उत्खनन

3085. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल फिल्डस लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कोयले के अवैध खनन के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों के समाचार मिले हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० (को०ई०लि०) द्वारा यह सूचित किया गया है कि ईस्टन कोलफील्डस लि० (ई० को० लि०) के क्षेत्र में गैर-कानूनी खनन की प्रवृत्ति में गिरावट आई है, लेकिन भारत कौकिंग कोल लि० (भा० को० को लि०) के क्षेत्र में आंसिक रूप में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान दोनों ही कंपनियों द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या उपर्युक्त प्रवृत्ति को दर्शाती है :—

	1991-92	1992-93	1993-94
दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या			
ई० को० लि०	208	321	284
भा० को० को० लि०	11	21	27

(ग) ई० को लि०/भा० को० लि० द्वारा ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उठाए गए ठोस कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल है : —

(1) अनुपयुक्त/निरस्त खान तथा भूमिगत निरस्त क्रियाकलापों में सभी संभावित कोयले के मुहानों को मलबा द्वारा ढक दिया गया है।

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के० आ० सु० व०) तथा कंपनी के चौकसी कर्मी नियमित रूप से इस क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जहां कि पहले गैर-काननी खनन की सूचना मिलली थी। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस के सहयोग से भी गैर-कानूनी खनन स्थलों में छापा मारती है, जहां कहीं भी प्राधिकारियों को सूचना मिलती है।

(3) गैर-कानूनी खनन की सूचना प्राप्त होने पर तथा प्राथमिक जांच के पश्चात् कोलियरी प्राधिकारी स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हैं ;।

(4) गैर-कानूनी खनन पर नियंत्रण रखने के लिए भा० को० को० लि०/ई० को लि० राज्य/जिला प्राधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती है।

(5) भा० को० को० लि०/ई० को० लि० के चौकसी स्टाफ द्वारा अचानक जांच तथा छापे मारे जाते हैं।

Expanding trade with South African countries

3086. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to starred Question 120 and Unstarred Question 31 given in the Rajya Sabha on 1st August, 1994 and 25th July, 1994 and state:

(a) the various South African countries with which trade relations are proposed to be expanded; and

(b) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) It is the endeavour of the Govt. to expand trade relations with South African countries having potential markets by:

(i) Creating better awareness about Indian goods by organising participation in international fairs/ exhibitions in the region;

(ii) exchange of industry and trade delegations;

(iii) holding of exclusive Indian exhibitions/fairs;

(iv) holding of regional conferences of commercial representatives of Indian missions to identify emerging opportunities;

(v) Commissioning of studies/ market surveys to identify possible areas of economic cooperation;

(vi) holding periodic official level bilateral discussions to resolve bottlenecks.

कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

3087. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 की तुलना में वर्ष 1993 के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनेक उत्पादों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि आधारित निर्यातकों धक्का पहुंचा है ; और

(घ) यदि हां, तो कृषि आधारित निर्यात बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं या उठाय जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी हाँ। वर्ष 1992–93 और 1993–94